

मध्यप्रदेश शासन  
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 08 जुलाई, 2015

क्रमांक एफ 14-14/2007/बयालीस(1) राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश के शासकीय, स्वशासी, निजी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, विश्वविद्यालयों के द्वारा संचालित स्वशासी एवं स्ववित्तीय इंजीनियरिंग संस्थाओं/महाविद्यालयों, फार्मसी महाविद्यालयों एवं एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के स्थानान्तरण/ब्रांच परिवर्तन के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को निरस्त करते हुये, निम्नानुसार नीति निर्धारित करती है:-

(क) ब्रांच परिवर्तन (विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्थित संस्थाओं में):-

1. ब्रांच परिवर्तन के लिये सक्षम प्राधिकारी संबंधित संस्था का प्राचार्य जो कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर घोषित प्रक्रिया एवं उनके द्वारा अधिसूचित निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।
2. ब्रांच परिवर्तन हेतु पात्र पाठ्यक्रम- केवल नियमित एवं पूर्णकालिक बीई एवं डिप्लोमा (केवल पीपीटी प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रमों में ब्रांच परिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
3. सेमेस्टर जिनमें ब्रांच परिवर्तन किया जा सकता है- संबंधित संस्था में केवल द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में उत्पन्न हुई विरुद्ध ही ब्रांच परिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
4. ब्रांच परिवर्तन के लिये विद्यार्थी की पात्रता एवं आधार- बी.ई. एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संबंधित संस्था में अध्ययनरत ऐसे सभी नियमित विद्यार्थी पात्र होंगे। संस्था द्वारा ब्रांच परिवर्तन की सम्पूर्ण कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रथम वर्ष में सैद्धांतिक विषयों में प्राप्त अंकों की गणना अनुसार की जा सकेगी। सर्वप्रथम उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेरिट अनुसार अवसर दिया जायेगा। तत्पश्चात् विशेष परिस्थितियों में स्थान रिक्त होने पर अनुउत्तीर्ण विद्यार्थी को भी अवसर दिया जा सकेगा।
- 4.1 डिप्लोमा (केवल पीपीटी प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रमों में केवल उन्हीं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में ब्रांच परिवर्तन किया जा सकेगा, जिनके प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के समस्त विषय एक समान होंगे। विषय अलग होने पर ब्रांच परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।
5. संस्थाएं ब्रांच परिवर्तन के संबंध में प्रथम वर्ष की गई कार्यवाही (ब्रांचवार रिक्तियां एवं उसके विरुद्ध ब्रांच परिवर्तन के विभागाध्यक्ष की सूची) से विश्वविद्यालय/संचालनालय तकनीकी शिक्षा को अवगत करायेगी तथा इस कार्यवाही का सम्पूर्ण रिकार्ड 05 वर्ष तक अनिवार्य रूप से संघारित रखेगी।

(ख) स्थानान्तरण (राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं में):-

1. स्थानान्तरण की कार्यवाही-संस्था द्वारा उस संस्था में अध्ययनरत इच्छुक विद्यार्थियों के ब्रांच परिवर्तन की कार्यवाही के लिये समायोजन पश्चात् शेष स्थानों पर स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

35

2. स्थानान्तरण के लिये सक्षम प्राधिकारी- कुलसचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
  3. स्थानान्तरण हेतु पात्र पाठ्यक्रम-स्थानान्तरण की कार्यवाही केवल बी.ई., बी.फार्मसी, बी.आर्किटेक्चर, डिप्लोमा (पीपीटी एवं नॉन पीपीटी) एवं एमसीए पाठ्यक्रमों के लिये लागू होगी। दो वर्षीय पाठ्यक्रम, ड्यूअल डिग्री पाठ्यक्रम एवं इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों तथा ऐसे पाठ्यक्रम जिनका उल्लेख इन निर्देशों में नहीं है, में स्थानान्तरण की कार्यवाही नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण नहीं की जावेगी।
  4. स्थानान्तरण के लिये संबंधित संस्थाओं की अनापत्ति- यदि संबंधित संस्थाएँ इच्छुक विद्यार्थी/विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहती है तो संबंधित विद्यार्थी को इन संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा। अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सम्पूर्ण जवाबदारी विद्यार्थी की होगी तथा संस्था के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना बंधनकारी नहीं होगा।
  5. सेमेस्टर जिनमें स्थानान्तरण किया जा सकता है-
    - (i). बी.ई., बी.फार्मसी, बी.आर्किटेक्चर के पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) एवं तृतीय वर्ष (पंचम सेमेस्टर) में उत्पन्न हुई रिक्तियों के विरुद्ध;
    - (ii). तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में उत्पन्न हुई रिक्तियों के विरुद्ध;
    - (iii). एम.सी.ए. पाठ्यक्रम (त्रि-वर्षीय) के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में उत्पन्न हुई रिक्तियों के विरुद्ध।
  6. स्थानान्तरण के लिये विद्यार्थी की पात्रता एवं आधार- सर्वप्रथम उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेरिट अनुसार अवसर दिया जायेगा। तत्पश्चात् विशेष परिस्थितियों में स्थान रिक्त होने पर अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को भी अवसर दिया जा सकेगा। द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में स्थानान्तरण की सम्पूर्ण कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रथम वर्ष में सैद्धांतिक विषयों में प्राप्त अंकों की मेरिट अनुसार की जा सकेगी। इसी तरह तृतीय वर्ष (पंचम सेमेस्टर) में स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में सैद्धांतिक विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट अनुसार की जा सकेगी।
- (ग) स्थानान्तरण (प्रदेश स्थित राज्य शासन के विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों से एवं राज्य के बाहर स्थित संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाओं में):-
- राज्य के निजी विश्वविद्यालयों से एवं राज्य के बाहर की निजी संस्थाओं/निजी विश्वविद्यालयों से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाओं/महाविद्यालयों में स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।
- (घ) बांच परिवर्तन/स्थानान्तरण के लिये रिक्तियां- किसी भी संस्था में निम्नलिखित परिस्थितियों में स्थान रिक्त माने जायेंगे:-
- (अ) प्रथम वर्ष में संस्था की प्रवेश क्षमता से कम प्रवेश होने के कारण,
  - (ब) विद्यार्थी द्वारा संस्था त्याग देने के कारण (स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र लेकर अथवा अन्य कारणों से संस्था छोड़ने से)
  - (स) विद्यार्थी का नाम अपरिहार्य कारणों से संस्था के पंजीयन से निरस्त किये जाने के कारण।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए


ब्रांचवार रिक्तियों के संबंध में पुष्टि केवल विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र होगा।

- (ii) अधिसंख्य सीटों (Supernumerary Seats) तथा लेटरल इंट्री की रिक्तियों पर स्थानांतरण की कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- (iii) संस्था द्वारा ब्रांच परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के पश्चात् ही स्थानांतरण की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी, जिसका प्रमाण-पत्र उसे देना होगा।

(ड) स्थानांतरण के लिये ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया- समस्त प्रकरणों में स्थानांतरण के लिये आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित करने की प्रक्रिया आगामी सत्र (जुलाई/अगस्त-2015) से लागू करने हेतु विश्वविद्यालय कार्यवाही करेगा।

(च) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाओं में स्थानांतरण के विशेष उपबंध-


- (i) किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये स्थानांतरण प्रतिबंधित है, परंतु किसी भी संस्था के पाठ्यक्रम विशेष में (उदाहरण स्वरूप बी.ई. (सिविल इंजी.) अथवा बी.ई. (मैकेनिकल इंजी.) में), यदि किसी शैक्षणिक सत्र में 20 प्रतिशत से कम प्रवेश है, तो संस्था प्रबंधन को उस संकाय में प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य संस्था में स्थानांतरित करने का विकल्प रहेगा। यह स्थानांतरण विद्यार्थियों के आवेदन, संस्थाओं द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर मेरिट अनुसार अन्य संस्थाओं में संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा काउंसलिंग समाप्त होने की अंतिम तिथि के पश्चात् 01 माह के भीतर किये जा सकेंगे।
- (ii) ऐसे संस्थान जिन्होंने राज्य शासन द्वारा संस्था बंद (Closure) करने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रदाय किया हो, के समस्त सेमेस्टर/वर्षों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्थानांतरण राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाओं में स्थान रिक्त होने की दशा में विद्यार्थियों के आवेदन, संस्थाओं द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर मेरिट अनुसार संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
  
(शमीम उद्दीन)  
अपर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
भोपाल, दिनांक 08 जुलाई 2015

पृ.क्रमांक एफ 14-14/2007/बयालीस(1)

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-
- (1) निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास
  - (2) संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल
  - (3) कुल सचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल
  - (4) विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति भोपाल

  
अपर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

37

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश  
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

पृष्ठाक्रमांक/बी/4/शैक्ष./2015/काजं/1224

भोपाल, दिनांक 28/07/2015

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आदेश क्रमांक एफ 14-14/ बयालीस (1), दिनांक 08 जुलाई, 2015 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार,  
समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/प्राचार्य,  
समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय,  
(स्वशासी, स्ववित्तीय एवं निजी क्षेत्र की इंजीनियरिंग संस्थाएँ) मध्यप्रदेश।
4. संचालक/प्राचार्य,  
समस्त एम.सी.ए. पाठ्यक्रम की संस्थाएँ, मध्यप्रदेश।
5. संचालक/प्राचार्य,  
समस्त डिग्री फार्मसी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश।
6. संचालक/प्राचार्य,  
समस्त पोलिटेकनिक महाविद्यालय  
(स्वशासी, स्ववित्तीय एवं निजी क्षेत्र की संस्थाएँ), मध्यप्रदेश।

संचालक तकनीकी शिक्षा  
मध्यप्रदेश